रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 38 | शिमला, शनिवार, 7 अप्रैल, 1990/17 चैत्र, 1912 | संख्या 14

विषय सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	302—310 तथा 315—316
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	310—311
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	311—313
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	314—315
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

7 मार्च, 1990/17 चैत्र, 1912 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुई :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 7-76/89-ई० एक्स० एन०-3396-3425, दिनांक 26 मार्च, 1990	आबकारी तथा कराधान विभाग	हिमाचल प्रदेश आबकारी बद्ध गोदाम नियम, 1987 का संशोधन इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन ।
संख्या 7-76/89-ई० एक्स० एन०-3306-35, दिनांक 26 मार्च, 1990.	-तथैव-	हिमाचल प्रदेश लीकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 में संशोधन का अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन ।
संख्या 1-24/90-वि०स० दिनांक, 28 मार्च, 1990.	हिमाचल प्रदेश सप्तम विधान सभा	भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (संख्या 3) और प्रतिवेदन (संख्या 1) का हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन ।
संख्या 1-27/90-वि०स०, दिनांक 30 मार्च, 1990.	हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 2) का हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अंग्रेजी रूपांतर सहित प्रकाशन ।
संख्या एल० एल० आर० (डी०) (6) 3/90-लैजिस्लेशन, दिनांक 31 मार्च, 1990.	विधि विभाग	हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (1990 का 1) का वर्ष 1990 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित प्रकाशन ।
संख्या एल० एल० आर०-डी० (6) 4/90-लैजिस्लेशन, दिनांक 31 मार्च, 1990.	-तथैव-	हिमाचल प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 2) का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 6 के रूप में इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित प्रकाशन ।

981-राजपत्र/90-7-4-90—1,123.

मूल्य : 2.50 रुपये ।

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st March, 1990

No. 1-15/73-DP-Apptt.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Shri P. Mitra, I.A.S. (H. P. 1978), Deputy Commissioner, Solan, Himachal Pradesh shall also hold the additional charge of the post of Managing Director, Himachal Pradesh Mahila Vikas Nigam, Solan, till further orders.

By order,
B. C. NEGI,
Chief Secretary.

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 मार्च, 1990

संख्या छ(7)-5/87-शिक्षा-क-भाग-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं दिनांक 31-12-1989, 5-1-1990 तथा 12-1-1990, अधिसूचना संख्या शिक्षा-II छ(7)-5/87-ऐजु-ए (भाग-II), दिनांक 12-1-1990, अधिसूचना संख्या शिक्षा-II-छ(7)-5/87, दिनांक 1-3-1990 तथा अधिसूचना संख्या शिक्षा-II-छ(5)-28/87, दिनांक 2-3-1990 जिनके अन्तर्गत प्रदेश में निम्नलिखित राजकीय उच्च पाठशालाओं का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बढ़ाया गया था को वापिस लेने की अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. राजकीय उच्च पाठशाला, बिलड़ी, जिला हमीरपुर ।
2. राजकीय उच्च पाठशाला, सन्धोल, जिला मण्डी ।
3. राजकीय उच्च पाठशाला, छरोड़ी, जिला चम्बा ।
4. राजकीय उच्च पाठशाला, जंजेहली, जिला मण्डी ।
5. राजकीय उच्च पाठशाला, दराहू, जिला सिरमौर ।
6. राजकीय उच्च पाठशाला, बौंध-धार, जिला सिरमौर ।
7. राजकीय उच्च पाठशाला, सनोरा, सिरमौर ।
8. राजकीय उच्च पाठशाला, धर्मपुर, जिला सोलन ।
9. राजकीय उच्च पाठशाला, रामशहर, जिला सोलन ।
10. राजकीय उच्च पाठशाला, सैर, जिला शिमला ।
11. राजकीय उच्च पाठशाला, कुनिहार, जिला सोलन ।
12. राजकीय उच्च पाठशाला, साहू, जिला चम्बा ।
13. राजकीय उच्च पाठशाला, जियोरी, जिला शिमला ।
14. राजकीय उच्च पाठशाला, झाकड़ी, जिला शिमला ।
15. राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर (रोहडू), जिला शिमला ।

अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 23rd March, 1990

No. FDS. C (5)-1/80-III.—In continuation of this Department notification of even number, dated the 8th April, 1989 and in exercise of the powers vested in him under Articles 102 (3), 102 (5) and 102 (7) of the Memorandum and Articles of Association of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Sadhu Ram, Hon'ble Minister of State for Food and Supplies, Himachal Pradesh as Chairman on the Board of Directors of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation in place of Shri Vijay Kumar Joshi earlier holding the charge of Minister for Food and Supplies, Himachal Pradesh.

By order,
HARSH GUPTA,
Commissioner-cum-Secretary.

FINANCE DEPARTMENT

(Treasuries and Accounts Organisation)

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 22nd March, 1990

No. Fin. (TR)B(5)-11/84.—Whereas the Government of Himachal Pradesh in the Department of Finance (Treasuries and Accounts Organisation) is of opinion that for the purpose of the departmental inquiry relating to Shri Sarwan Singh, Sub-Treasurer, it is necessary to summon the following as witneses:—

1. Shri Bihari Lal s/o Shri Thimla, r/o village Tundal (Nanj), Tehsil Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh.
2. Pradhan, Gram Panchayat, Nanj, Tehsil Karsog, District Mandi with birth register of Gram Panchayat for 1985 to 1989.
3. Shri Govind Lal, Supdt. c/o D. F. O., Karsog, District Mandi, Himachal Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Departmental Inquiry (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Government of Himachal Pradesh in the Finance Department (Treasuries and Accounts Organisation) hereby authorises Shri S. D. Dutta, Deputy Director (Inspection), Dharamshala as the Inquiring Authority to exercise the power specified in section 5 of the said Act in relation to the said Inquiry.

Shimla-2 the 22nd March, 1990

No. Fin.(TR) B (5)-11/84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Departmental Inquiry of Attendance of Witnesses and Production of Documents Act, 1972 (18 of 1972), the Government of Himachal Pradesh in the Finance Department (Treasuries and Accounts Organisation) hereby specifies Shri S. D. Dutta, Deputy Director (Inspection), Dharamshala as an authority to exercise the power conferred on the State Government by sub-section (1) of section 4 of the said Act in respect of Shri Sarwan Singh, Sub-Treasurer against whom a departmental inquiry may be held.

J. R. VERMA,
Deputy Secretary (Fin.)-cum-*Director.*

सामान्य प्रशासन विभाग

'ख' शाखा

अधिसूचना

शिमला-2, 22 मार्च, 1990

संख्या जी0ए0बी0-2 बी (1) 3/84.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नल शिवकिशोर (सेवानिवृत्त) का अवैतनिक सलाहकार (विपणन, परिवहन, पर्यटन एवम् रेलवे) हिमाचल प्रदेश सरकार के पद से त्याग-पत्र दिनांक 20 मार्च, 1990 से सहर्ष स्वीकार करते हैं ।

बी0 सी0 नेगी,
मुख्य सचिव ।

सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उप-बन्धों के अधीन इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन, लोक निर्माण विभाग, चम्बा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

*गांव धरवाई, तहसील भटियात जिला चम्बा में देहर रजैई सरोग कुहल के निर्माण के लिए ।

संख्या सिचाई-11-103/88-चम्बा ।

शिमला-2, 4 मार्च, 1990.

विस्तृत विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : भटियात

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
धरवाई	31/1	0	4
	33/1	0	2
	34/1	0	2
	35/1	0	4
	51/1	0	3
किता ..	5	0	15

*गांव भोंट, तहसील भटियात, जिला चम्बा में रजैई सरोग कुहल के निर्माण के लिए ।

संख्या सिचाई-11-105/88- चम्बा

शिमला-171002, 5 मार्च, 1990.

भोंट	7/1	0	9
	18/1	0	5
	92/1	0	2
	93/1	0	5
	96/1	0	1
	97/1	0	2
	98/1	0	1
	99/1	0	6
	576/188/1	0	2
	190/1	0	3
	191/1	0	5
	193/1	0	5
	194/1	0	3
	214/1	0	5
	215/1	0	7
	217/1	0	6
	228/1	0	2
किता ..	17	3	9

*गांव डुग्गरू, तहसील भटियात, जिला चम्बा में देहर रजैई सरोग कुहल के निर्माण के लिए ।

संख्या सिचाई-11-104/88-चम्बा ।

शिमला-171002, 5 मार्च, 1990.

डुग्गरू	14/1	0	2
	15/1	0	5
किता ..	2	0	7

शिमला-171002, 5 मार्च, 1990

संख्या सिचाई-11-7/89-सोलन.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव कांवटा, तहसील कसौली, जिला सोलन में उठाऊ सिंचाई योजना के निर्माण के लिए भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सोलन को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन, लोक निर्माण विभाग, सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला : सोलन तहसील : कसौली

गांव	खसरा सं0	क्षेत्र बी0	वि0
1	2	3	4
कांवटा	164/143/1	1	3

आदेश द्वारा,
पी0 टी0 वांगडी,
सचिव।

शिमला-2, 17 मार्च, 1990

संख्या सिचाई 11-80/89-ऊना.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टब्बा, तहसील व जिला ऊना में उठाऊ सिंचाई योजना जलग्रां के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित है या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला : ऊना तहसील : ऊना

गांव	खसरा संख्या	क्षेत्र कनाल	मरला
1	2	3	4
टब्बा	1536	0	19
	1522/1	0	7
किता	2	1	6

आदेश द्वारा,
अ0 कु0 महोपात्र,
सचिव ।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 17th March, 1990

No. 19-19/88-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Irshad Ahmed and the management of Himachal Pradesh Financial Corporation;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himacaal Pradesh constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under :—

"Whether the termination of services of Shri Irshad Ahmed by the Branch Manager, Himachal Pradesh Financial Corporation, Nahan, District Sirmaur is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and amount of compensation Shri Irshad Ahmed is entitled?"

Shimla-2, the 17th March, 1990

No. 19-8/89-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Miss Chinno Devi and the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Joginder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under Section 7 of the, Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under :—

"Whether the termination of services of Miss Chinno Devi by the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Joginder Nagar, District Mandi is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits Miss Chinno Devi is entitled?"

Shimla-2, the 21st March, 1990

No. 15-27/86-LEP.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between S/Shri Baragi Ram and Naki Ram with the management of M/s Parvati Investigation Division No. I and II, Kullu, H. P.;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under :—

"Whether the termination of services of S/Shri Baragi Ram and Naki Ram by the management of M/s Parvati Investigation Division No. I and II is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits S/Shri Baragi Ram and Naki Ram are entitled.?"

Shimla-2, the 22nd March, 1990

No. 19-14/89-Shram.— Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between S/Shri Kedareshwar Gautam, Jagdish Chand and Kamlesh with the Fruit Technologist, H. P. FruitProcessing Centre Nihal, Bilaspur, H. P.;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication as under:—

"Whether the termination of services of S/Shri Kedareshwar Gautam, Jagdish Chand and Kamlesh by the Fruit Technologist, Shimla, Himachal Pradesh Fruit Processing Centre, Nihal, District Bilaspur is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits the above mentined workers are entitled"?

Shimla-2, the 22nd Marah, 1990

No. 19-21/88-Shram-I.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Satya Paul Jerath, Analyst and the management of M/s Nahan Foundry Limited, Nahan, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradech is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under :—

"Whether the dismissal from services of Shri Satya Paul Jerath, Analyst, by the management of M/s Nahan Foundry Limited, Nahan, is legal and maintainable ? If illegal, to what relief and amonnt of compensation Shri Satya Paul Jerath is entitled?"

Shimla-2, the 22nd march, 1990

No. 19-21/88-Shram-I.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Ram Chander, Beldar and the management of Municipal Committee, Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla, constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under:—

"Whether the termination of services of Shri Ram Chander by the Secretary, Municipal Committee, Nahan, is legal and maintainable? If illegal, to what relief and amount of compensation Shri Ram Chander is entitled?"

Shimla-2, the 23rd March, 1990

No. 19-21/88-Shram-I—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dipute between Shri Suresh Kumar, Turner and the management of M/s Ashoka Alloy Steels Private Limited, Sirmaur, H. P.;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla for adjudication;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 12 (5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh, Shimla, constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947, for adjudication as under :—

"Whether the dismissal from services of Shri Suresh Kumar, Turner, by the management of M/s Ashoka Alloy Steels Private Ltd., P.O. Majra, District Sirmaur is legal and maintainable? If illegal, to what relief and amount of compensation Shri Suresh Kumar is entitled?"

शिमला-171002, 23 मार्च, 1990

संख्या 19-21/88-श्रम-I.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल टरपीन प्रोडक्ट कर्मचारी यूनियन, काला अम्ब, जिला सिरमौर तथा मै0 हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस प्रा0 (लि0), काला अम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है ;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि मामला श्रम अधिकरण को भेज देने योग्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अधिनियम सं0 (14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ए के अन्तर्गत निर्मित श्रम अधिकरण को नीचे व्याख्या किय गये विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :—

"क्या हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस कर्मचारी यूनियन की दिनांक 25-1-1990 को संलग्न मांग-पत्र द्वारा उठाई गई मांगें सही व न्यायोचित हैं? अगर हां, तो हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटिड, काला अम्ब, जिला सिरमौर के कर्मचारी किस राहत तथा क्षतिपूर्ति के हकदार है?"

हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस कर्मचारी यूनियन, काला अम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या 25-1-90-91 नाहन, 25 जनवरी, 1990

प्रबन्धक महोदय,
हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस प्रा0 लि0,
काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

श्रीमान जी,

हमने आपके पत्र नं0 8/8/89-90, दिनांक 16-8-89 के द्वारा एक मांग पत्र दिया था। परन्तु आपने इस मांग पत्र पर दो बार समझौता वार्ता हुए होने पर भी हमारी किसी प्रकार की कोई मांगे स्वीकार नहीं की। अन्त में दिनांक 16-1-1990 को समझौता वार्ता विफल हो गई। अतः आपसे दोबारा अनुरोध करते हैं कि आप हमारी निम्नलिखित मांगों को जो के मांग-पत्र नं0 8/8/89-90, दिनांक 16-8-89 के द्वारा उठाई गई थी। दिनांक 7-2-90 तक स्वीकार करने की कृपा कर। वरना हमें 8-2-90 से स्ट्राईक करने पर बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धकों की होनी चाहिए।

1. 20 मई, 1986 को जो समझौता 31 अक्तूबर, 1989 तक के लिए हुआ था वह निर्मक हो चुका है। उसे 31 अक्तूबर, 1989 के पश्चात् समाप्त समझा जाए जिसकी सूचना आपको पहले दी जा चुकी है।

2. सभी कर्मचारियों को अप्रैल, 1989 से निम्नलिखित वेतनमान दिय जाएं:—

ग्रेड -ए—600-35-775-45-1000-50-1100
,, -बी- 700-40-900-50-1150-60-1270
ग्रेड -सी- 800-50-1050-60-1350-70-1490

परमानैंट कर्मचारीयों के वेतन अप्रैल, 1989 से उपरोक्त वेतनमान शुरू की गई वेतन में निम्नलिखित को वृद्धि कर के निर्धारित किए जाए :

ग्रेड	वृद्धि
ए—	90 690
बी—	95 795
सी—	100 900

तथा उपरोक्त वेतन मांगों पर प्रति वर्ष मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाए।

3. स्टैंडिंग आर्डर की धारा 4 के अनुसार सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएं।

4. निम्नलिखित कर्मचारियों को जिन्हें काम करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है स्टैंडिंग आर्डर की धारा 3(बी) के अन्तर्गत परमानैंट किया जाए।

(1) ओम प्रकाश, (2) राम करण, (3) राम लाल, (4) अनवर अली, (5) रणवीर सिह, (6) राजिंदर कुमार,

5. चाय भत्ते को 25/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 35/- प्रतिमाह की जावे।

6. धुलाई भत्ते 10/- प्रतिमाह से बढ़ा कर 20/- प्रतिमाह किया जाए।

7. कुछ कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है चाहे उनके घर के मकान क्यों न हों। परन्तु जो कर्मचारी किराये के मकानों में रहते हैं उन्हें किराये भत्ते के रूप में नहीं दिया जाता जोकि कर्मचारियों के साथ सरासर भद है। अतः सभी कर्मचारियों को मूल वेतन का कम से कम 20 प्रतिशत मकान किराये भत्ते के रूप मे प्रतिमाह दिया जाए।

8. बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में एक वार (Hunting Shoe) दिए जाएं ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
2. जिलाधीश, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।
3. श्रम निरीक्षक, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।
4. श्रम अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदश ।

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-
ध्यान सिंह, जनरल सैक्रेटरी,
एच0 टी0 पी0 कर्मचारी यूनियन,
काला अम्ब, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

तत्थापित

हस्ताक्षरित/-
श्रम निरीक्षक,
नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश ।

आदेश

शिमला-171002, 23 मार्च, 1990

संख्या 19-21/88-श्रम-I:—यत- हिमाचल प्रदेश टरपीन प्रोडक्टस कर्मचारी यूनियन, काला अम्ब, जिला सिरमौर न दिनांक 25-1-1990 को संलग्न मांग-पत्र द्वार अपनी मांगे उठाईं ;

2. और यत: समझौता अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक, नाहन, जिला सिरमौर द्वारा विभिन्न तारीखों को समझौता बैठकें बुलाई गईं परन्तु दोनों पक्ष अपने-अपने स्तर पर अडिग रहे ;

3. और यत: हिमाचल प्रदेश टरपीन प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटिड के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिनांक 16-2-1990 से हड़ताल पर चले गये ;

4 और यत: समझौता अधिकारी ने इस मामले को श्रम अधिकरण को न्याय निर्णीत करने क लिए भेजने की सिफारिश की है ;

5. और यत: ऊपरलिखित औद्योगिक विवाद दिनांक 23-8-90 को श्रम अधिकरण, हिमाचल प्रदेश को न्याय निर्णीत करने के लिए भेज दिया गया है ;

6. अत: अब हिमाचल प्रदेश सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (3) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस कर्मचारी यूनियन द्वारा उपरोक्त विवाद के सम्बन्ध में चलाई हुई वर्तमान हड़ताल को तत्काल निषिद्ध घोषित करती है ।

हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस कर्मचारी यूनियन, काला अम्ब,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

क्रम संख्या -25-1-90-91. दिनांक 25 जनवरी, 1990

प्रबन्धक महोदय,
हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस प्रा0 लि0,
काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश ।

श्री मान जी,

हमने आपके पत्र नं0 8/8/89-90, दिनांक 16-8-89 के द्वारा एक मांग-पत्र दिया था । परन्तु आपने इस मांग-पत्र पर दो बार समझौता वार्ता हुए होने पर भी हमारी किसी प्रकार की कोई मांगें स्वीकार नहीं की । अन्त में दिनांक 16-1-1990 को समझौता वार्ता विफल हो गई । अत: आपसे दोबारा अनुरोध करते हैं कि आप हमारी निम्नलिखित मांगों को जोकि मांग-पत्र नं0 8/8/89-90, दिनांक 16-8-89 के द्वारा उठाई गई थी दिनांक 7-2-90 तक स्वीकार करने की कृपा कर वरना हमें 8-2-90 से स्ट्राइक करने पर बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धकों की होनी चाहिए :—

1. 20 मई, 1986 को जो समझौता 31 अक्तूबर, 1989 तक के लिए हुआ था वह निर्णक हो चुका है । उसे 31 अक्तूबर, 1989 के पश्चात् समाप्त समझा जाए जिसकी सूचना आपको पहले दी जा चुकी है ।

2. सभी कर्मचारियों को अप्रैल, 1989 से निम्नलिखित वेतनमान दिये जाएं : —

ग्रेड-ए— 600-35-775-45-1000-50-1100
ग्रेड-बी — 700-40-900-50-1150-60-1270
ग्रेड-सी — 800-50-1050-60-1350-70-1490.

परमानैंट कर्मचारियों के वेतन अप्रैल, 1989 से उपरोक्त वेतनमान शुरू की गई वेतन में निम्नलिखित की वृद्धि कर के निर्धारित किए जाएं :—

ग्रेड	वृद्धि	
ए–	90	690
बी–	95	795
सी–	100	900

तथा उपरोक्त वेतन मांगों पर प्रतिवर्ष मूल वेतन का 20 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाए ।

3. स्टैंडिंग आर्डर की धारा 4 के अनुसार सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिये जाएं ।

4. निम्नलिखित कर्मचारियों को जिन्हें काम करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है स्टैंडिंग आर्डर की धारा 3(बी) के अन्तर्गत परमानैंट किया जाए ।

(1) ओम प्रकाश, (2) रामकरण, (3) राम लाल, (4) अनवर अली, (5) रणवीर सिंह, (6) राजिंदर कुमार ।

5. चाय भत्ते को 25/- प्रतिमाह से बढ़ा कर 35/- प्रतिमाह की जाए ।

6. धुलाई भत्ते 10/- प्रतिमाह से बढ़ा कर 20/- प्रतिमाह किया जाए ।

7. कुछ कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है चाहे उनके घर के मकान क्यों न हों परन्तु जो कर्मचारी किराये के मकानों में रहते हैं उन्हें किराये भत्ते के रूप में नहीं दिया जाता जोकि कर्मचारियों के साथ सरासर भेद है । अत: सभी कर्मचारियों को मूल वेतन का कम से कम 20 प्रतिशत मकान किराये भत्ते के रूप में प्रतिमाह दिया जाए ।

8. बिजली का काम करने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में (Hunting Shoe) दिये जाएं ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु:
1. श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश शिमला ।
2. जिलाधीश, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।
3. श्रम निरीक्षक, जिला सिरमौर, नाहन हिमाचल प्रदेश ।
4. श्रम अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-
ध्यान सिंह, जनरल सैक्रेटरी,
एच0 टी0 पी0 कर्मचारी यूनियन,
काला अम्ब, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

स्थापित
हस्ताक्षरित/-
श्रम निरीक्षक,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/
वित्तायुक्त एवं सचिव

बहुद्देशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल राज्य बिजली बोर्ड (जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी0 सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, थिसिल बैंक, शिमला-171003 को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, थिसिल बैंक, शिमला-3 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

*मुहाल अगादे, तहसील निचार, जिला किन्नौर में नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना की आवासीय बस्ती के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ (5)-129/89.

शिमला-171002, 16 मार्च, 1990.

विवरणी

जिला : किन्नौर तहसील : निचार

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
अगादे	84/23	0	00	66
	24	0	03	05
	31	0	00	72
	32	0	00	56
	33	0	00	68
	86/34	0	07	79
	21	0	14	15
	22	0	01	24
	83/23	0	04	60
	85/34	0	05	06
	25	0	02	82
	29	0	00	50
	30	0	00	72
	27	0	00	68
	28	0	01	26
	82/19	0	14	52
	35	0	62	03
	81/19	0	01	44
	20	0	08	74
किता ..	19	1	30	22

*उप-मुहाल अगादे तहसील निचार, जिला किन्नौर में नाथपा झाकड़ी परियोजना के बांध व मलवा दबाने तथा कार्य सुविधा स्थान के निर्माण हेतु ।

संख्या विद्युत-छ (5)94/89

शिमला-2, 16 मार्च, 1990.

1	2	3	4	5
अगादे	3	0	26	04
	2	0	22	88
	4	0	00	42
	5	0	27	17
	6	1	61	97
	7	0	23	76
किता ..	6	2	62	24

आदेश द्वारा,
एम0 एम0 मुखर्जी,
सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त* प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

*गांव बड़ाही, उप-तहसील बलद्वाड़ा, जिला मण्डी में पलासी-समैला-त्रिकालवाट सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख)7 (1)23/89.

शिमला-2, 9 मार्च, 1990.

विवरणी

जिला : मण्डी उप-तहसील : बलद्वाड़ा

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
बड़ाही/499	647/104/1	0	00	76
किता ..	1	0	00	76

तहसील: करसोग

*गांव मरेहड़ा, तहसील करसोग, जिला मण्डी में पण्डार-तत्तापानी सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख)7 (1)31/89.

शिमला-2, 9 मार्च, 1990.

विवरणी

जिला : मण्डी तहसील : करसोग

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बी0 बि0 बिस्वां0		
1	2	3	4	5
मरेहड़ा	947/1	0	6	12
	950/1	0	0	2
किता :	2	0	6	14

1	2	3	4	5
	तहसील: सुन्दरनगर			

*गांव केरन, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी में सुन्दरनगर सेरी कोठी वाया केरन सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1)20/89.

शिमला-171002, 12 मार्च, 1990.

केरन/23	292/51/1	0	1	0
	133/1	0	0	11
	132/1	0	0	9
	95/1	0	0	2
	293/51/1	0	0	8
	134/1	0	3	10
	138/1	0	0	6
	82/1	0	6	5
	106/1	0	2	8
	136/1	0	0	15
	96/1	0	0	16
	83/1	0	0	15
	137/1	0	0	15
	269/197/1	0	4	0
	202	0	0	16
	205/1	0	7	1
	267/194/1	0	17	18
	272/232/1	0	8	4
	139	0	2	19
	142/1	0	2	17
	143/4	0	13	14
	208/1	0	7	11
	250/1	1	2	9
	84/1	0	0	11
किस्सा ..	24	5	8	0

तहसील: सदर

*गांव नालसन, तहसील सदर, जिला मण्डी में साईगलु-सुकाकुन सड़क के निर्माण हेतु ।

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 64/89.

शिमला-171002, 12 मार्च, 1990.

नालसन/71	138/1	0	13	0
	137 मा0	0	1	16
	199	0	0	6
	200/1	0	5	0
	201	0	2	0
	203/1	0	1	2
	206/1	0	0	14
	214/1	0	1	8
	215	0	2	13
	216/1	0	2	6
	217	0	1	7
	221/1	0	0	10
	222/1	0	1	10
	230 मा0	0	3	5
	231/1	0	1	16
	232/1	0	6	13
	232/2	0	0	6
	280/1	0	1	16
	279/1	0	8	2
	1760/293/1	0	2	0
	1761/293/1	0	5	10
	412/1/1	0	9	11
	350/1	0	16	18
	324/1	0	0	5
	694/1	0	1	19
	691 मा0	0	0	12
	708	0	0	18
	668/1	0	2	8
	689/1	0	0	4
	709/1	0	4	17
	712/1	0	3	8
	1202/1	0	1	10
	1204/1	0	4	0
	1205/1	1	0	4
	1209/1	0	8	5
	1738/1318/1	0	5	9
	1330/1	1	4	13
	1392/1	0	3	8
	1393	0	5	8
	1394	0	6	15
	1390	0	0	16
	1391	0	1	12
	1396	0	3	8
	1397/1	0	0	15
	1395	0	5	0
	1412/1	0	4	12
	1411/1	0	2	2
	1413/1	0	1	12
	1426/1	0	0	10
	1407/1	0	6	15
	1415/1	0	1	10
	1406/1	0	1	0
	1567	0	2	8
	1568	0	3	3
	1569/1	0	0	15
	1594/1	0	7	10
	1610/1	0	3	18
	1611/1	0	8	0
	1632/1	1	1	3
	1631/1	0	16	9
	1626/1	0	7	13
	1695/1	0	15	19
	1681/1	0	10	14
	1682 मा0	0	13	14
	1678/1	0	0	8
	1613/1	1	5	7
	1615/1	0	4	8
	1676/1	0	8	2
	1674/1	0	1	2
	1708/1	0	8	7
	1709/1	0	5	15
	1710/1	0	2	9
	1711/1	0	4	8
	1714/1	0	16	16
	1724/1	0	14	15
	1722/1	0	12	13
	1720/1	1	0	4
किस्सा ..	77	23	6	4

शिमला-171002, 12 मार्च, 1990

संख्या लो0नि0 (ख)7(1)169/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा बनी, टीका टिक्कर राजपूतां, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, म वदारन गाहलियां-गारली वाया जोल सड़क किलोमीटर 8/0 से 11/0 तक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : हमीरपुर तहसील : बड़सर

मौजा	टीका	खसरा नं0	क्षेत्र कनाल	मरले
बनी	टिक्कर राजपूतां	561/1	0	5
	कित्ता . .	1	0	5

शिमला-171002, 12 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7 (1)96/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव छैधाला, तहसील ठियोग, जिला शिमला में ठियोग रैस्ट हाउस/सर्कट हाउस के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : ठियोग

गांव	खसरा सं 1980-81 की जमाबन्दी के अनुसार	खसरा सं 1986-87 की जमाबन्दी के अनुसार	क्षेत्र बी0	बि0
छैधाला	49/12	62/49/12	0	1
	49/12	63/49/12/1	1	2
	50/12/1		0	6
कित्ता ..	3		1	9

शिमला-171002, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 150/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दवरोट, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी में गैंग हट मढ़ी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला : मण्डी उप-तहसील : सन्धोल

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
दवरोट	2721/2676/573/1	0	01	78
कित्ता ..	1	0	01	78

शिमला-2, 15 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0(ख) 7(1) 68/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नौणी, बागा, खाता और दाड़ला, तहसील अर्की, जिला सोलन में दाड़लाघाट-पारनू सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-3 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-3, के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला : सोलन तहसील : अर्की

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0
1	2	3	4
नौणी	192/1	0	2
	197/1	0	6

1		2	3	4
		194/1	0	3
		191/1	0	5
		196/1	0	10
		190/1	0	1
		190/2	0	2
		125/1	0	5
		120/1	0	19
		135/1	0	12
		133/1/1	0	2
		133/1	0	1
		134/1	0	3
		134/2	0	5
		243/102/3/1	0	12
		242/102/3/1	0	1
		96/1	0	14
		97/1	1	9
		95/1	0	6
		252/102/1	0	8
	किस्सा ..	20	7	6
बागा		264/262/1	0	18
		168/1	0	11
		217/1	0	9
		169/1	0	1
		138/ब/1	0	6
		138/अ/1	0	4
		165/1	5	18
		166/1	0	5
	किस्सा ..	8	8	12
खाता		142/1	0	19
		143/1	0	8
		144/1	1	17
		144/2	0	14
		145/1	2	2
		150/1	0	9
	किस्सा ..	6	6	9
दाड़ला		215/1	0	12
		208/1	0	6
		169/1	0	6
		213/1	1	7
		371/151/1	0	1
		165/1	0	3
		239/210/1	0	1
		206/1	0	3
		207	0	2
	किस्सा ..	9	3	1

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरी/-
अयुक्त एवं सचिव।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 23 मार्च, 1990

संख्या कूप0 एम0-2462-66.—यह कि श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, सहकारी सभाएं, द्रंग, दिनांक 28-2-90 को सेवा निवृत हो चुके हैं। इन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या कूप-4515-18, दिनांक 14-9-1969 के अनुसार दी जोगिन्द्रनगर लैदर एण्ड टेलरिंग सहकारी सभा सी0 जोगिन्द्रनगर का विघटक नियुक्त किया गया है।

श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, द्रंग सेवा निवृत हो जाने के कारण, मैं, बी0 डी0 ग्रोवर, सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, मण्डी, हिमाचल प्रदेश मुझ में निहित शक्तियां पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (एक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 79 का प्रयोग करते हुए, उप-निरीक्षक, सहकारी सभाएं द्रंग, श्री प्रवीन कुमार को ऊपरलिखित सहकारी सभा का विघटक नियुक्त करने के आदेश जारी करता हूं।

विघटक, हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 80 और 82 को सभी शक्तियों का प्रयोग अधोहस्ताक्षरी के नियन्त्रण में करेगा जो उन्हें प्रदत्त की जाती हैं।

विघटक, श्री पूर्ण सिंह से शीघ्र चार्ज ले कर सभा का विघटन 6 मास के भीतर करके इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजेगा।

मण्डी, 23 मार्च, 1990

संख्या कूप0 एम0-2455-59.—यह कि श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, सहकारी सभाएं, द्रंग दिनांक 28-2-90 को सेवा निवृत हो चुके है। इन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या 3-3/74-7562-78 दिनांक 26-8-1987 के अनुसार दी कैलाश परिवहन सहकारी सभा का विघटक नियुक्त किया गया है।

श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, द्रंग सेवा निवृत हो जाने के कारण, मैं, बी0 डी0 ग्रोवर, सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएं, मण्डी, हिमाचल प्रदेश मुझ में निहित शक्तियां पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 79 का प्रयोग करते हुए उप-निरीक्षक, सहकारी सभाएं, द्रंग, श्री ध्यान सिंह खनोरिया को ऊपरलिखित सहकारी सभा का विघटक नियुक्त करने के आदेश जारी करता हूं।

विघटक, हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, (1968 ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 80 और 82 की सभी शक्तियों का प्रयोग अधोहस्ताक्षरी के नियन्त्रण में करेगा जो उन्हें प्रदत्त की जाती हैं।

विघटक, श्री पूर्ण सिंह से शीघ्र चार्ज ले कर सभा का विघटन 6 मास के भीतर करके इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजेगा।

मण्डी, 23 मार्च, 1990

नं0 कूप0 एम-02467-71.—यह कि श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, सहकारी सभाएं, द्रंग, दिनांक 28-2-90 को सेवा निवृत हो चुके हैं। इन्हें इस कार्यालय आदेश संख्या 4-10, दिनांक 1-1-82 के अनुसार दी हिमाचल औद्योगिक सहकारी सभा जोगिन्द्र नगर का विघटक नियुक्त किया गया है।

श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, द्रंग सेवा निवृत हो जाने के कारण, मैं, बी0 डी0 ग्रोवर, सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, मण्डी, हिमाचल प्रदेश मुझ में निहित शक्तियां पंजीयक, सहकारी सभाएं, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 79 का प्रयोग करते हुए, उप-निरीक्षक, सहकारी सभाएं, द्रंग, श्री ध्यान सिंह खनोरिया को ऊपरलिखित सहकारी सभा का विघटक नियुक्त करने के आदेश जारी करता हूं।

विघटक हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3 आफ 1969) की धारा 80 और 82 की सभी शक्तियों का प्रयोग अधो-हस्ताक्षरी के नियन्त्रण में करेगा जो उन्हें प्रदत्त की जाती हैं।

विघटक, श्री पूर्ण सिंह से शीघ्र चार्ज लेकर सभा का विघटन 6 मास के भीतर करके इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजेगा।

मण्डी, 23 मार्च, 1990

संख्या कूप0 एम0-2450-54.—यह कि श्री पूर्ण सिंह, निरीक्षक, सहकारी सभाएं द्रंग, दिनांक 28-2-90 को सेवा निवृत हो चुके है। इन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या 3-50/62-123-27, दिनांक 4-1-1985 के अनुसार दी कन्या देवी सेवा सहकारी सभा सी0 नौहली का विघटक नियुक्त किया गया है।

श्री पूर्ण सिंह निरीक्षक, द्रंग सेवा निवृत हो जाने के कारण, मैं, बी0 डी0 ग्रोवर, सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, मण्डी हिमाचल प्रदेश मुझ में निहित शक्तियां पंजीयक सहकारी समायें, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदत्त हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं0 3आफ 1969) की धारा 79 का प्रयोग करते हुए उप-निरीक्षक सहकारी सभायें, द्रंग श्री प्रवीण कुमार को ऊपरलिखित सहकारी सभा का विघटक नियुक्त करने के आदेश जारी करता हूं।

विघटक हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम, 1968 (ऐक्ट नं03 आफ 1969) की धारा 80 और 82 की सभी शक्तियों का प्रयोग अधो-हस्ताक्षरी के नियन्त्रण में करेगा जो उन्हें प्रदत्त की जाती हैं।

विघटक, श्री पूर्ण सिंह से शीघ्र चार्ज लेकर सभा का विघटन 6 मास के भीतर करके इस कार्यालय को अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजेगा।

बी0 डी0 ग्रोवर,
सहायक पंजीयक,
सहकारी सभाएं, मण्डी।

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 मार्च, 1990

संख्या ख(15)-3/86-शिक्षा-क.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 12-1-1990 जिसके अन्तर्गत राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर नए राजकीय महाविद्यालय खोल गए थे को वापिस लेने के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. अर्की, जिला सोलन।
2. पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।
3. जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी।
4. चवाड़ी, जिला चम्बा।
5. धुमारवीं, जिला बिलासपुर।
6. रिकांग पिओ, जिला किन्नौर।

अत्तर सिंह,
वित्तायुक्त।

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 1989

संख्या 2-32/73-रैव-ए0 (III).—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, भू-अभिलेख में अधीक्षक ग्रेड-III वर्ग-3 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग, भू-अभिलेख अधीक्षक ग्रेड-IIIवर्ग-3 अराजपत्रित पद, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1989 है।

(2) यह नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2-32/73 रैव-I, तारीख 1-12-73 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख निदेशालय अधीनस्थ सेवाएं वर्ग-3 भर्ती और प्रोन्नति नियम इस सीमा तक निरसित किए जाते हैं जहां तक इनका अधीक्षक ग्रेड-III वर्ग-3 अराजपत्रित पद से सम्बन्ध है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि पूर्व उप-नियम (1) के अधीन ऐसे निरसित सुसंगत नियमों के अधीन की गई किसी नियुक्ति या बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे की गई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

उपाबन्ध "अ"

हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख निदेशालय में अधीक्षक ग्रेड-III वर्ग-3 (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	अधीक्षक ग्रेड-III
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-3 (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	रु0 1640-40-2000-50-2400-60-2700-75-2925.
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	लागू नहीं
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	सहायकों और वरिष्ठ आशुलिपिकों में से जिनका अपने-अपने ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-12-83) तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उक्त संयुक्त सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ सभी पात्र पदधारियों की सेवाकाल के आधार पर, उनके अपने-अपने प्रवर्ग में ज्येष्ठता को परिवर्तित किए बिना एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

टिप्पण-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति

से पूर्व, संभरण पद में 31-12-83 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जाएगी :—

(क) उन सभी मामलों में जहां कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबंधों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी मूल पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हित सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, हों :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई भी व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

(ख) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हों, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी :

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी ।

(ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं ली जाएगी ।

टिप्पण-2.—जब कभी नियम 2 के अधीन पदों में बढ़ोतरी होती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना । — जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भ[illegible]ने में जिन प[illegible]ों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । — जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है

14. आरक्षण — उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

15. विभागीय परीक्षा — लागू नहीं ।

16. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Government notification No. 2-32/73-Rev-A (III), dated* 28-12-1989 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 28*th December*, 1989

No. 2-32/73-Rev. A (III).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-III, Class-III (Non-Gazetted) in the Land Records of Revenue Department, Government of Himachal Pradesh as per Annexure-I attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Land Records, Revenue Department, Superintendent Grade-III, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1989.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

2. *Repeal and savings.*—(1) The Himachal Pradesh Directorate of Land Records (Class-III Subordinate Services Recruitment and Promotion) Rules, 1973 notified *vide* this Department notification No. 2-32/73-Rev. I, dated 1-12-1973 are hereby repealed to the extent it pertains to the post of Superintendent Grade-III.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have validly made, done or taken under these rules.

ANNEXURE-I

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT GRADE-III IN THE DIRECTORATE OF LAND RECORDS OF THE REVENUE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post	Superintendent Grade-III
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 1640-40-2000-50-2400-60-2700-75-2925.
5. Whether selection post or non-selection post.	Non-Selection
6. Age for direct recruitment.	Not applicable
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable

9. Period of probation, if any.	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Assistants and Senior Scale Stenographers with atleast five years or regular or regular combined with *ad hoc* service (rendered upto 31-12-1983, if any) in their respective grades. For the purpose of promotion, the combined seniority list of all eligible officials will be prepared on the basis of length of service without disturbing their categorywise, *inter-se*-seniority. *Note*-1.—In all cases of promotion, *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointmeat to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions:— (*a*) That in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post. In view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. (*b*) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that the *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged. (*c*) *ad hoc* service rendered after 31-12-83 shall not be taken into account for confirmation / promotion purposes. *Note*-2.—Provisions of rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rules 2 are increased.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14 Reservation	The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
15. Departmental Examination.	Not applicable
16. Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

बअदालत श्री एस0 एस0 परमार, आयुक्त, शिमला मण्डल, शिमला-2

मुकद्दमा रैवेन्यु अपील नं0 232/88

श्री तुलसी राम पुत्र मोहतू, गांव पारली फोहड़, तहसील शिलाई जिला सिरमौर .. प्रतिवादी।

बनाम

1. दासु राम, 2. सुपा राम पुत्रान प्रेम सिंह, 3. धर्म सिंह पुत्र धुन्धवा, 4. सुन्दर सिंह, 5. रामभज, 6. बली राम पुत्रान किन्करू, 7. गुमान सिंह, 8. बाडू राम, 9. मोहर सिंह पुत्रान जालम सिंह, 10. श्रीमती झूगरी वेवा जालम सिंह, 11. मोही राम पुत्र मोहतू 12. लाल सिंह, 13. रती राम, 14. सही राम पुत्र मोहती, 15 ध्यान सिंह, 16. भोम सिंह, 17. उदे राम पुत्रान मोन सिंह, 18. हिरा पुत्र जतीया, 19. ग्यारू 20. जीत सिंह पुत्रान पांजी, 21. श्रीमती सन्तो पुत्री पांजी, 22. श्रीमती गुमानी पत्नी पांजी, सभी निवासी गांव फोहड़, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर .. प्रोफारमा प्रतिवादीगण।

अपील विरुद्ध आदेश 30-1-1987 कुलैक्टर सब-डिविजन पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी नं0 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, तथा 18 को बार-बार समन भेज गये थे, परन्तु समन बार-बार अदम तामील वापिस आ जाते है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रतिवादीगण समन लेने से जान बूझ कर आना-कानी कर रह है। अत: अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादियों को साधारण तरीके से हाजिर करवाना कठिन ह।

अत: इस इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा में तारीख 2-5-1990 को मेरे न्यायालय सरकट कोर्ट नाहन में 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हाजिर आवें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी और उक्त मुकद्दमा का निर्णय किया जावेगा।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 एस0 परमार,
आयुक्त,
शिमला मण्डल, शिमला।

बअदालत श्री एस0 एस0 परमार, आयुक्त, शिमला मण्डल, शिमला-2

मुकद्दमा रैवन्यु अपील नं0 233/88

श्री महन्त राम पुत्र श्री चेत राम, गांव पारली फोहर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) .. वादी

बनाम

1. सर्वश्री दासू राम, 2. सुपा राम पुत्रान प्रेम सिंह, धर्म सिंह पुत्र धुधवा 4. सुन्दर सिंह, 5. राम भज 6. बली राम पुत्रान किन्डरू 7. सुखिया, 8. बुधियां, 9. हीरू पुत्रान चेतू, 10. मोही राम पुत्र मोहतु, 11. गमान सिंह, 12. बाडू राम, 13. मोहर सिंह पुत्रान जालम सिंह, 14. श्रीमती झूगरी वेवा जालम सिंह, सभी निवासी गांव फोहर, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)। .. प्रतिवादी।

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 30-1-1987 कुलैक्टर सब-डिविजन पांवटा साहिब, जिला सिरमौर।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी नं0 7, 8 तथा 11 को बार-बार समन भेजे गये थे, परन्तु समन बार-बार अदम तामील वापिस आ जाते हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रतिवादी समन लेने से जानबूझ कर आना-कानी कर रहे है। अत: अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादियों को साधारण तरीके से हाजिर करवाना कठिन है।

अत: इश्तहार जेर आर्डर 5, रूल 20, सी0 पी0 सी0 अन्तर्गत प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा में तारीख 2-5-1990 को मेरे न्यायालय सरकट कोर्ट नाहन में 10 बजे सुबह असालतन या वकालतन या अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा हाजिर आवें अन्यथा कार्यवाही यकतरफा अमल अमल में लाई जावेगी और उक्त मुकद्दमा का निर्णय किया जावेगा।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 एस0 परमार,
आयुक्त,
शिमला मण्डल, शिमला।

बअदालत श्री जे0 पी0 शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

बमकद्दमा

राजपाल पुत्र देवी सिंह, निवासी घरवासडा, ईलाका अनन्तपुर .प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्री चमन लाल, सुख राम, राम लाल पुत्र झविया, शेर सिंह, सोहन लाल, भगत राम, हरबंस लाल पुत्र चौधरी, राम सिंह पुत्र सोभा, निवासी घरवासडा, ईलाका अनन्तपुर . प्रतिपक्षीगण।

दरख्वास्त तकसीम अराजी

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीकदोयम को कई बार इस न्यायालय से समन जारी हुए लेकिन उन पर तामील समन नहीं हो रही है। अत: न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उन पर तामील समन साधारण तरीके से होनी कठिन है।

अत: उपरोक्त फरीक दोयम को वजरिया इश्तहार अदालती सूचित किया जाता है कि वे असालतन या वकालतन दिनांक 20-4-1990 को समय 10 बजे सुबह हमारे न्यायालय सरकाघाट में हाजर होकर पैरवी मुकद्मा करें अन्यथा कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जायगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से आज दिनांक 6-3-1990 को जारी हुआ।

मोहर। जे0 पी0 शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट जिला मण्डी।

बअदालत श्री बलदेव शर्मा, तहसीलदार व अखत्यारात सब-रजिस्ट्रार' हमीरपुर केस न0 1 आफ 1990

श्री प्रकाश चन्द, उर्फ नानकू राम पुत्र भागीरथ, वासी टीका लिगवी, मौजा धनेड .सायल।

बनाम

आम जनता . .मसुलअलेहम।

दरख्वास्त जेरे धारा 40/41 बावत रजिस्टर्ड करने वसीयतनामा मुतवफी श्रीमती कौशल्या देवी विधवा श्री दरोगा, वासी लिगवी मौजा धनेड।

नोटिस बनाम आम जनता

उपरोक्त विषय पर आम जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है इस कार्यालय में मुतवफी श्रीमती कौशल्या देवी विधवा श्री दरोगा, वासी लिगवीं द्वारा तहरीर शुदा वसीयत उसकी मृत्यु के उपरान्त भारतीय रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की जेरे धारा 40/41 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड करने के लिए दायर की गई है वसीयत के अनुसार उसकी तमाम जायदाद के वारिस उसके देवर के लड़के श्री प्रकाश चन्द उर्फ नानकू तथा श्री अमर चन्द होंगे अगर किसी को इस वसीयत के बारा में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-90 को असालतन या वकालतन हाजिर आ कर मकद्दमा की पैरवी करें अन्यथा कार्रवाई हस्ब जाब्ता अमल में लाई जावगी।

आज तिथि 1-3-90 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत में जारी हुआ।

बलदेव शर्मा,
तहसीलदार व अध्यारात सब-रजिस्ट्रार,
हमीरपुर।

मोहर।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

शून्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं।

शून्य

अनुपरक

शून्य

भाग I

HIMACHAL PRADESH HIGH COURT

NOTIFICATION

Shimla-1, *the* 20*th March*, 1990

No. HHC/Admn. 6-20/77-Ix.—The Hon'ble the Chief Justice and the Judges are pleased to declare Tuesday the 5th June, 1990 as a closed holiday to be observed by the Court/Office of the Senior Sub-Judge *cum*-Chief Judicial Magistrate Kinnaur at Rekong Peo, in order to make it convenient for every Voter of Kinnaur district and Spiti Sub-Division of Lahaul & Spiti district to exercise his/her right of franchise during the General Election to Kinnaur, Bharmour and Lahaul-Spiti Assembly Constituencies.

CORRIGENDUM

Shimla-1 *the* 22*nd March*, 1990

No. HHC/Admn. 6 (22)/74-III.—Name of Shri L. R. Sharma may be read *instead* of name of Shri Sher Singh in the reference appearing in this Registry Notification No. HHC/Admn. 6 (22)/74-III, dated 15th March, 1990.

By order,
Sd/-
Deputy Registrar (*Admn.*)

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 मार्च, 1990

संख्या गृह-बी (ए) 1-3/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 11-2/66-डी०पी० (अपाईंट-II), तारीख 31 अगस्त, 1972 और तारीख 21 जनवरी, 1974 के आंशिक उपान्तरण में, हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, विद्यमान सिविल जिला सिरमौर के क्षेत्र को, निम्नलिखित जिलों में विभाजित करते हैं :—

क्रम संख्या	सिविल जिला का नाम	सीमाएं	मुख्यालय
1	2	3	4
1.	सोलन	राजस्व, जिला सोलन।	सोलन
2.	सिरमौर	राजस्व, जिला सिरमौर।	नाहन

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[*Authorised English text of this Department notification No. Home B(A)*1-3/87, *dated* 20*th March*, 1990 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India is hereby published.*]

Shimla-2, *the* 20*th March*, 1990

No. Home-B(A)1-3/87.—In partial modification of Himachal Pradesh Government Department of Personnel notification No. 11-2/66-DP (Apptt.-II), dated 31-8-1972 and dated 21-1-1974 and in exercise of the powers conferred upon him under sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976), the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to divide the territories of the existing Civil District Sirmaur into the following Civil Districts:—

Sl. No.	Name of the Civil District	Limits	Headquarters
1	2	3	4
1.	Solan	Consisting of Revenue district of Solan.	Solan
2.	Sirmaur	Consisting of Revenue district of Sirmaur.	Nahan

This notification shall come into force with immediate effect.

शिमला-2, 20 मार्च, 1990

संख्या गृह-बी (ए) 1-3/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 11-2/66 डी० पी० (अपाईंट-II), दिनांक 31 अगस्त, 1972 और तारीख 21 जनवरी, 1974 के आंशिक उपान्तरण में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 9 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, विद्यमान सैशन खण्ड सिरमौर की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं और सैशन खण्ड का निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन और स्थापन करते हैं:—

क्रम संख्या	सैशन खण्ड का नाम	सीमाएं	मुख्यालय
1	2	3	4
1.	सोलन	जिला सोलन	सोलन
2.	सिरमौर	जिला सिरमौर	नाहन

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[Authorised English text of this Department notification No. Home B(A) 1-3/87, dated 20th March, 1990 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India is hereby published.]

Shimla-2, the 20th March, 1990

No. Home-B (A) 1-3/87.—In partial modification of the Himachal Pradesh Government, Department of Personnel notification No. 11-2/66-DP (Apptt.II), dated the 31st August, 1972 and dated 21st January, 1974, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred upon him under sub-section 1 and 2 of section 7 read with sub-section 1 of section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to alter the limits of the existing Sessions Division Sirmaur and to re-constitute and establish the Session Divisions as below:—

Sl. No.	Name of the Sessions Divisions	Limits	Head-quarter
1	2	3	4
1.	Solan	Solan district	Solan
2.	Sirmaur	Sirmaur district	Nahan

This notification shall come into force with immediate effect.

P. T. WANGDI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 21st March, 1990

No. 19-20/88-Sharm.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Birpal Singh and the management of M/s Gem India Ltd., Parwanoo, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under Section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court, Himachal Pradesh;

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under Section 7 of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under :—

"Whether the termination of the services of Shri Birpal Singh by the management of M/s Gem India Ltd., Parwanoo is legal and maintainable? If illegal, to what relief an amount of compensation Shri Birpal Singh is entitled ?"

Shimla-2, the 21st March, 1990

No. 19-12/88- Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Shri Manohar Singh Thakur, Asstt. Grade-I and ma[illegible] M/s Baira Siul Project, N. H. P. C., Villa[illegible]urgani, District Chamba, Himachal Prades[illegible]

And whereas after consi[illegible]port submitted by the Conciliation Officer u[illegible]n 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 19[illegible]vernor, Himachal Pradesh is satisfied that th[illegible]ay be referred to the Labour Court, Himac[illegible];

Now, therefore, the Go[illegible], Himachal Pradesh, in exercise of the powers v[illegible] in him under section 12(5) of the Industrial Dis[illegible]es Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under Section 7 of the Industrial Disputes Act, 19[illegible] for adjudication as under:—

"Whether the claim of Shri Manohar Singh Thakur, Assistant Grade-I that he has not been given appropriate place in [illegible]t Grade-III is legal and maintainable ? If s[illegible] t relief and amount of compensation Sh[illegible] iar Singh Thakur is entitled ?"

By order,
Sd/-
Financi[illegible]sioner-cum-Secretary.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।